


चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्राइवेट) लिमिटेड



सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

(वित्त वर्ष 2022-23)

चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा.)लिमिटेड

सीएसआर क्रियाकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट

(वित्तीय वर्ष 2022-23)

1. कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा :

सीवीपीपीपीएल अपने हितधारकों की चिंताओं के समाधान एवं अपने सभी व्यावसायिक क्रियाकलापों में सीएसआर और संधारणीयता के श्रेष्ठ मानकों को बढ़ावा देने और उन्हें अनुरक्षित रखने हेतु प्रतिबद्ध है। इस प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए सीवीपीपीपीएल विधि के शासन, स्थानीय समुदायों और व्यापक रूप से समाज का सम्मान करती है और अपने सीएसआर और संधारणीयता क्रियाकलापों के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता और पर्यावरणीय स्थिरता में वृद्धि करने के लिए जागरूक प्रयास करती है।

सीवीपीपीपीएल की सीएसआर और संधारणीयता नीति, सीवीपीपीपीएल के व्यवसाय को सामाजिक रूप से उत्तरदायी रीति से संचालित करने का आधार बनाती है, जिसका लक्ष्य क्रियाकलापों के समस्त क्षेत्रों में कार्यनिष्पादन की रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण में पारदर्शिता के अपेक्षित मानकों के अनुरूप उच्च स्तर की संगठनात्मक निष्ठा और नैतिक व्यवहार को अनुरक्षित करते हुए तथा कंपनी के संचालन और उसकी गतिविधियों से प्रत्यक्षतः प्रभावित प्रमुख हितधारकों की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय चिंताओं को समझना और उनका समाधान करते हुए सामाजिक उत्तरदायित्व और संधारणीयता के साथ जलविद्युत विकास और कंपनी के दीर्घकालिक विकास के उद्देश्यों को एकीकृत करना है।

सीवीपीपीपीएल के बोर्ड ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा135 के अंतर्गत निहित उपबंधों के अनुसरण में, सीवीपीपीपीएल की सीएसआर और संधारणीयता नीति को अनुमोदित किया है।

यह नीति, कंपनी अधिनियम 2013, अधिनियम की अनुसूची VII, सीएसआर नियमों और उसके संशोधनों के अनुसरण में विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत सीएसआर क्रियाकलापों के कार्यान्वयन से संबंधित उपबंधों का प्रावधान करती है।

सीवीपीपीपीएल की सीएसआर और संधारणीयता नीति को सीवीपीपीपीएल की वेबसाइट लिंक <https://www.cvppindia.com/CSR.aspx?Policies> पर सार्वजनिक डोमेन में रखा गया है।

नीति की मुख्य विशेषताएं:

किसी वित्तीय वर्ष के लिए सीएसआर और संधारणीयता कार्यों के लिए बजट प्रावधान सीवीपीपीपीएल द्वारा पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अर्जित किए गए औसत निवल (शुद्ध) लाभ का 2% होगा। कंपनी के औसत निवल लाभ का परिकलन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 198 के यथा-संशोधित उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

जलविद्युत विकासकर्ता होने के नाते, सीवीपीपीपीएल द्वारा मुख्य रूप से अपनी परियोजनाओं/विद्युत स्टेशनों या कॉर्पोरेट कार्यालय के निकट सीएसआर और संधारणीयता क्रियाकलापों का कार्यान्वयन किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सीएसआर और संधारणीयता क्रियाकलापों का कम-से-कम 80% निष्पादन सीवीपीपीपीएल की परियोजनाओं, पावर स्टेशनों और कार्यालयों के आसपास 25 किलोमीटर के भीतर और उस जिले में किया जाता है जहां परियोजना स्थित है। तथापि, 25 किलोमीटर से अधिक दूरी के अन्य स्थानों को भी आवश्यकता के आधार पर और राष्ट्रीय योजनाओं/अभियानों पर भारत सरकार के निर्देश के अनुसार चुना जा सकता है, जिसमें समाज/पर्यावरण के व्यापक हित के लिए सीएसआर बजट की 20% राशि खर्च की जा सकती है।

सीवीपीपीपीएल द्वारा सीएसआर क्रियाकलाप कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-VII के अनुसार संचालित किए जाएंगे।

किसी अन्य क्रियाकलाप/मद पर किए गए ऐसे व्यय को, जो समय-समय पर यथासंशोधित कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची-VII के अनुरूप नहीं है, सीएसआर व्यय में शामिल नहीं किया जाएगा।

सीवीपीपीपीएल द्वारा सीएसआर निधि आवंटन और व्यय (वर्ष-वार):

वर्ष	लाभ के प्रतिशत के रूप में आवंटन का आधार	अनिवार्य निधि आवंटन (रुपये)	वास्तविक व्यय (रुपये)
2017-18	पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2%	6,94,928.00	6,98,460.00
2018-19	पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2%	12,39,193.00	12,39,820.00
2019-20	पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2%	22,54,878.00	13,11,553.00*
2020-21	पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2%	29,43,495.00	42,47,040.00**
2021-22	पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2%	26,49,830.00***	3,11,627.00
2022-23	पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2%	22,13,210.00#	29,38,132.00#1
	कुल	1,19,95,534.00	1,07,46,632.00

* व्यय न की गई 9,43,325.00 रुपये की राशि को वित्त वर्ष 2020-21 में अग्नेीत किया गया।

** इसमें 9,43,325.00 रुपये की अग्रेनीत अव्ययित राशि का व्यय और 3,60,220.00 रुपये का अतिरिक्त व्यय शामिल है।

*** बोर्ड द्वारा, 1,20,070.00 रुपये की अतिरिक्त व्यय की गई राशि को वित्त वर्ष 2022-23 की सीएसआर दायित्व राशि में से घटाने का अनुमोदन किया गया | पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ के 2% (अर्थात 26,49,830.00 रुपये) में से 1,20,073.00 रुपये घटाने के उपरांत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए शुद्ध सीएसआर दायित्व राशि 25,29,757.00 रुपये थी |

#वित्त वर्ष 2022-23 में व्यय किए जाने की आवश्यकता के प्रति समायोजन के लिए बोर्ड द्वारा 1,20,073.00 रुपये की राशि को मंजूरी दी गई थी। पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ के 2% (अर्थात 22,13,210.00 रुपये) से 1,20,073.00 रुपये समायोजन करने के बाद, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए शुद्ध सीएसआर दायित्व 20,93,137.00 रुपये था।

#1 इसमें वित्त वर्ष 2022-23 की सीएसआर क्रियाकलापों के लिए 20,65,195.00 रुपये तथा वित्त वर्ष 2021-22 की अव्ययित राशि से वित्त वर्ष 2021-22 के सीएसआर क्रियाकलापों (चालू परियोजनाएं) के लिए 8,72,937.00 रुपये का व्यय शामिल है |

सीवीपीपीपीएल द्वारा क्षेत्रवार सीएसआर व्यय (वर्ष-वार) :

वर्ष	व्यय (रुपये में)					
	शिक्षा क्षेत्र	स्वास्थ्य देखरेख क्षेत्र	महिला सशक्तिकरण	सामाजिक रूप से पिछड़े समूहों द्वारा सामना की जाने वाली असमानताओं को कम करना	आपदा प्रबंधन	कुल
2017-18	6,68,560.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00	6,98,460.00
2018-19	7,85,234.00	4,54,586.00	0.00	0.00	0.00	12,39,820.00
2019-20	7,72,517.00	39,000.00	1,24,125.00	1,76,229.00	1,99,682.00	13,11,553.00
2020-21	14,66,668.00	25,81,132.00	0.00	0.00	1,99,240.00	42,47,040.00
2021-22	0.00	3,11,627.00	0.00	0.00	0.00	3,11,627.00
2022-23	0.00	29,38,132.00	0.00	0.0	0.00	29,38,132.00
कुल	36,92,979.00	63,54,377.00	1,24,125.00	1,76,229.00	3,98,922.00	1,07,46,632.00

वित्तीय वर्ष 2022-23 में कार्यान्वित सीएसआर क्रियाकलाप:

सीवीपीपीपीएल के बोर्ड द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सीएसआर पर वार्षिक कार्य योजना को अनुमोदित किया गया था, जिसमें स्वास्थ्य देखरेख के अंतर्गत एक सीएसआर

क्रियाकलाप (निवारक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल को प्रोत्साहन प्रदान करना) अर्थात "परियोजना प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा शिविर और स्वास्थ्य जागरूकता अभियान आयोजित करना" को मंजूरी दी गई थी।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135(5) के अनुसार, वित्त वर्ष 2022-23 में सीएसआर क्रियाकलाप के लिए व्यय की जाने वाली आवश्यक राशि 22,13,210.00 रुपए (पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ के 2% के आधार पर) थी। समायोजन के लिए उपलब्ध राशि 1,20,073.00 रुपए थी। इसलिए, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कुल सीएसआर दायित्व (22,13,210.00 रुपए - 1,20,073.00 रु) 20,93, 137.00 रुपये था। इसकी तुलना में कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर क्रियाकलापों के लिए 20,65,195.00 रुपये खर्च किये हैं। शेष रुपए 27,942.00 रुपये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में जमा किये जायेंगे।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में सीएसआर क्रियाकलाप के कार्यान्वयन के चित्र परिशिष्ट-1में दिए गए हैं।

2. सीएसआर समिति की संरचना:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम / निदेशक पद का स्वरूप	वर्ष के दौरान सम्पन्न सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की उन बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया गया
1.	श्री एच राजेश प्रसाद, आईएस	अध्यक्ष/ नामिति निदेशक	-	
2.	श्री आर पी गोयल	सदस्य/ नामिति निदेशक	-	
3.	श्री हसन नदीम	सदस्य/ प्रबंध निदेशक	-	

3. वेब-लिंक प्रदान करें जहां सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाएं कंपनी की वेबसाइट पर प्रकट की गई हैं :

सीएसआर नीति और अन्य ब्यौरों को सीवीपीपीएल की वेबसाइट पर लिंक <https://www.cvppindia.com/CSR.aspx?Policies> पर सार्वजनिक डोमेन में रखी गई है।

4. कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में निष्पादित सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का ब्योरा प्रदान करें, यदि लागू हो (रिपोर्ट संलग्न करें):

लागू नहीं।

5. (क) धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसार कंपनी का औसत निवल (शुद्ध) लाभ : 11,06,60,517.00 रुपए

(ख) धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत:

22,13,210.00 रुपये

(ग) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष : शून्य रुपए

(घ) वित्तीय वर्ष के लिए समायोजन (सेट-ऑफ) हेतु अभीष्ट राशि, यदि कोई हो: 1,20,073.00 रुपये

(ङ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व ((ख)+(ग)-(घ)): 20,93,1377.00 रुपए

6. (क) सीएसआर परियोजनाओं पर व्यय की गई राशि (चालू परियोजना और चालू परियोजना के अतिरिक्त दोनों) : 20,65,195.00 रुपए

(ख) प्रशासनिक ओवरहेड्स पर व्यय की गई राशि : शून्य

(ग) प्रभाव मूल्यांकन पर व्यय की गई राशि, यदि लागू हो : शून्य

(घ) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि ((क)+(ख)+(ग)) : 20,65,195.00 रुपये

(ङ) वित्तीय वर्ष के लिए व्ययित अथवा अव्ययित सीएसआर राशि:

वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि (रुपये में)	अव्ययित राशि (रुपये में)				
	धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित कुल राशि		धारा 135 की उप-धारा (5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के तहत यथा-विनिर्दिष्ट किसी निधि को अंतरित राशि		
	राशि	अंतरण की तिथि	निधि का नाम	राशि	अंतरण की तिथि
20,65,195.00	-	-	प्रधानमंत्री राहत कोष	27,942/-	30 सितम्बर 2023 तक अंतरित किया जाएगा।

(च) समायोजन (सेट-ऑफ) के लिए अधिक राशि, यदि कोई हो:

क्रम सं.	विवरण	राशि (रुपए में)
(1)	(2)	(3)
(i)	धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत	लागू नहीं
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि	लागू नहीं
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई आधिक्य राशि	लागू नहीं
(iv)	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या क्रियाकलापों से उत्पन्न आधिक्य, यदि कोई हो	लागू नहीं
(v)	आगे के वित्तीय वर्षों में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि	लागू नहीं

7. (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राशि का ब्योरा:

1	2	3	4	5	6		7	8	
क्र.सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135 की उपधारा (6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित राशि (रुपये में)	धारा 135 की उपधारा (6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में शेष राशि (रुपये में)	वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (रुपये में)	धारा 135 की उपधारा (5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी निधि में अंतरित राशि (रुपए में)	राशि (रुपये में)	अंतरण की तिथि	आगामी वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली शेष राशि (रुपये में)	कमी, यदि कोई हो
1	2021-22	22,42,494	22,42,494	8,72,937	-	-		13,69,557	-

8. क्या वित्तीय वर्ष में व्यय की गई कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राशि के माध्यम से कोई पूंजीगत आस्ति बनाई गई या अर्जित की गई है: नहीं

यदि हां, तो सृजित/अर्जित पूंजीगत आस्तियों की संख्या दर्ज करें:

वित्तीय वर्ष में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राशि के माध्यम से बनाई गई या अर्जित की गई ऐसी संपत्ति से संबंधित विवरण प्रदान करें।

क्रम सं.	संपत्ति या परिसंपत्ति (यों) का संक्षिप्त विवरण (संपत्ति का पूरा पता और स्थल)	संपत्ति या परिसंपत्ति (यों) का पिन कोड	सृजन की तारीख	व्यय की गई सीएसआर राशि	निकाय/प्राधिकारी/ स्वामी के लाभार्थी का ब्यौरा	पंजीकृत
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(सभी क्षेत्रों को राजस्व रिकॉर्ड में प्रदर्शित किए गए अनुसार ही दर्ज किया जाना चाहिए, फ्लैट नंबर, मकान नंबर, नगर निगम कार्यालय/नगर निगम/ग्राम पंचायत को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए और साथ ही अचल संपत्ति और सीमाओं का क्षेत्र भी निर्दिष्ट किया जाना चाहिए)

एनए: लागू नहीं

9. यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो इसकी कारण निर्दिष्ट करें:

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135(5) के अनुसार, वित्त वर्ष 2022-23 में सीएसआर गतिविधि के लिए व्यय की जाने वाली आवश्यक राशि 22,13,210.00 रुपए (पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ के 2% के आधार पर) थी। समायोजन के लिए उपलब्ध राशि 1,20,073.00 रुपए थी। इसलिए, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कुल सीएसआर दायित्व (22,13,210.00 रुपये - 1,20,073.00 रुपये) 20,93,137.00 रुपये था। इसकी तुलना में, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर क्रियाकलापों के लिए 20,65,195.00 रुपये की राशि व्यय है। इस संबंध में मात्र 27,942.00 रुपये की कमी रही थी और इसका कारण अनुमानित राशि से कम दर पर एल1 बोलीदाता (जीईएम पोर्टल) द्वारा दवा/स्वास्थ्य अनुपूरक उपलब्ध कराया जाना था।

हस्ता/-

एच. राजेश प्रसाद, आईएसएस
अध्यक्ष, सीएसआर समिति

हस्ता/-

हसन नदीम
प्रबंध निदेशक, सीवीपीपीपीएल

वित्तीय वर्ष 2022-23 में किए गए सीएसआर गतिविधि के चित्र



श्री शाम लाल (जेकेएस), सहायक जिला विकास आयुक्त, किश्तवाड़ द्वारा 16 जनवरी 2023 को श्री राजन जयरथ, परियोजना प्रमुख, क्वार एचईपी और डॉ. चंदर परकेश, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, किश्तवाड़ की उपस्थिति में जनरल मेडिसिन और विशेषीकृत स्त्री रोग चिकित्सा शिविर का उद्घाटन।

JAMMU LINKS NEWS

KISHTWAR

Kwar Hydro Electric Power Project, CVPPPL organise Free Medical Camps under CSR at village Padyarna

Jammu Links News 1/16/2023

KISHTWAR: Kwar Hydro Electric Power Project, CVPPPL in collaboration with District administration & Health Department organized two free health checkup camps (A General Checkup Camp and a specialized Gynecology medical camp) under the banner of Azadi Ka Amrit Mahotsav and Corporate Social Responsibility (FY- 2022-23) at Dam Area, village Padyarna block Nagseni District Kishtwar Jammu and Kashmir (J&K).

The General Checkup Camp was inaugurated by Additional District Development Commissioner (ADDC), Sham Lal by cutting the ribbon whereas specialized Gynecology medical camp was inaugurated by Rajan Jairath, Head of the Project, Kwar HEP in presence of Dr. Chander Prakash, Chief Medical Officer and invitee Doctors.

Free medicines were distributed among the patients in this Medical Camp.

The Gynecology and menstrual hygiene awareness campaign was also conducted as a part of this camp.

A medical team from District Hospital Kishtwar was also present on the occasion.

More than 350 persons from the Project affected villages and nearby areas availed the free medical consultation and medicines along with menstrual hygiene material.

The ADDC Kishtwar along with the CMO interacted with the visitors and patients and enquired about the free Medicare facilities and services being provided in the camp.

People showed great satisfaction in the free medical screening, gynecological consultations given by doctors and free medicines provided to them in the said camps besides extended gratitude to Kwar HEP CVPPPL and District Administration and Health authorities for this positive gesture.

Language: 74483

Department of Information & Public Relations
Government of Jammu & Kashmir

Today's Release Departments Districts Features Gallery Events Archives Notifications

Kwar HE Project, CVPPPL organise follow up Medical Camp at village Padyama

Facebook post content:

Rangan Thakur visits departmental exhibition at JK Pavilion, Pragati Bhawan, NEW DELHI, NOVEMBER 18. Principal Secretary, Industries & Commerce Department, Rangan Prakash Thakur today visited Jammu & Kashmir Pavilion at Pragati Bhawan, New Delhi and inspected the exhibition organised there by the department. He visited the stalls established by the artisans and craftsmen during the exhibition at the Pavilion being organized by the Department and also interacted with the staff. See more

Kwar HE Project, CVPPPL organise follow up Medical Camp at village Padyama

KISHTWAR, FEBRUARY 09: Kwar HE Project, CVPPPL, in association with District Administration Kishtwar and District Health department organised a follow up medical camp at the village Padyama, of Block Nuppen under CSR 2022-23.

Follow up Medical Camp was inaugurated by S K Gai, General Manager (CH), Kwar HEF.

Previously, two free health checkup camps (A General Checkup Camp and a specialized Gerontology medical camp) were also conducted by Kwar HE Project under CSR at the village Padyama on 08th Jan 2023.

A medical team from District Hospital Kishtwar checked up about 250 persons from the Project affected village and nearby areas. They were provided free medical consultation and medicines alongwith menstrual hygiene material.



श्री राजेंद्र प्रसाद, समूह महाप्रबंधक एवं प्रभारी, परियोजना प्रमुख, श्री शाम लाल (जेकेएस) एडीडीसी, किश्तवाड़, और डॉ. याकूब मीर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, किश्तवाड़ द्वारा दिनांक 14.03.2023 को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किरू में सामान्य चिकित्सा शिविर और स्त्री रोग एवं मासिक धर्म स्वच्छता पर विशेष चिकित्सा शिविर का उद्घाटन।





अनुबंध - 2

विषय : कंपनी (सीएसआर नीति) संशोधन नियम, 2021 की धारा 4 की उपधारा (5) के उपबंधों के अनुसार प्रमाण-पत्र।

कंपनी (सीएसआर नीति) संशोधन नियम, 2021 की धारा 4 की उप-धारा (5) के उपबंधों के अनुसार, यह प्रमाणित किया जाता है कि सीवीपीपीएल द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में सीएसआर क्रियाकलापों पर 29,38,132.00 रुपये (उनतीस लाख अड़तीस हजार एक सौ बत्तीस रुपये केवल) की राशि का उपयोग सीवीपीपीपीएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित उद्देश्य और तरीके से किया गया है। विवरण इस प्रकार हैं:


परियोजना का नाम	चालू परियोजना			चालू परियोजना के अतिरिक्त		वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रयुक्त कुल राशि (रुपए)
	वित्तीय वर्ष 2021-22 में अव्ययित राशि (रुपए)	वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रयुक्त राशि (रुपए)	वित्तीय वर्ष 2021-22 में शेष अव्ययित राशि (रुपए)	वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कुल आवंटित राशि (रुपए)	वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रयुक्त राशि (रुपए)	
पकल डुल एचईपी	15,17,714	2,48,985	12,68,729	10,00,000	8,57,363	11,06,348
कीरू एचईपी	7,24,780	6,23,952	1,00,828	8,00,000	7,27,142	13,51,094
क्वार एचईपी	-	-	-	4,95,994	4,80,690	4,80,690
कुल	22,42,494	8,72,937	13,69,557	22,95,994	20,65,195	29,38,132

दिनांक : 24 अगस्त, 2023

हस्ता./-

वित्त प्रमुख

कारपोरेट कार्यालय, सीवीपीपीपीएल



चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्राइवेट) लिमिटेड

चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने, रेल हेड कॉम्प्लेक्स, जम्मू -180012, (जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित प्रदेश)